


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 973 व 974 / 2013.....जिला.....अलवर...
 उनवान-मैसर्स खण्डेलवाल ऑयल फ्लोर मिल, अलवर बनाम् उपायुक्त (प्रशासन) अलवर ।

<p align="center">तारीख हुक्म</p>	<p align="center">हुक्म या कार्यवाही गय इनीशियल जज</p>	<p align="center">नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>18.09.2014</p>	<p align="center"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मदन लाल, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत अपीलों के संबंध रिकॉर्ड पत्रावलियों पर उपलब्ध प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के जरिये अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को विदग्ध करने हेतु निवेदन किया गया है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक श्री आर.के.अजमेरा ने इस संबंध में अपीलों को विदग्ध करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। फलस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलें विदग्ध करने के कारण, प्रस्तुत अपीलें "सारहीन" हो जाने के कारण खारिज की जाती हैं।</p> <p align="center">आदेश सुनाया गया।</p> <p align="right">  18-9-2014 (मदन लाल) सदस्य </p>	